मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05-02-2016

क्र. एफ 16-36/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स रिलायंस डिफेंस एंड एयरो स्पेस लिमिटेड द्वारा भोपाल में एयरो स्पेस पार्क परियोजना की स्थापना संबंधी परियोजना में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत परियोजना को निम्नानुसार विशेष सुविधाएं दी जावें:-

1. **उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं रक्षा संयंत्र उत्पाद निवेश नीति, 2014 अंतर्गत -**

(i) **भूमि आवंटन में रियायत-** 76 एकड़ अविकसित भूमि (70 एकड़ निर्माण इकाई के लिये 6 एकड़ प्रशिक्षण केन्द्र हेतु) असिंचित कृषि भूमि हेतु प्रचलित कलेक्टर गाईडलाईन दर के 25 प्रतिशत दर पर, 99 वर्ष की लीज पर, एमपी एकेव्हीएन, भोपाल के माध्यम से चिन्हांकित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात आवंटित की जावेगी।

(ii) **रक्षा पार्क हेतु अधोसंरचना सहायता-** रक्षा उत्पाद निवेश नीति अनुसार अविकसित भूमि पर रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों द्वारा मूलभूत अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत विद्युत, जल, सड़क अधोसंरचना निर्माण हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 करोड़ की सीमा तक प्रति अधोसंरचना निर्माण हेतु देय होगा।

(iii) **एफ.ए.आर. (floor area ratio) -** एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से सहमति प्राप्त होने की दशा में एफ.ए.आर. 2 मान्य करने पर विचार किया जावेगा।

(iv) **स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क से मुक्ति-** रक्षा संयंत्र उत्पाद निवेश नीति, 2014 अंतर्गत सार्वजनिक/रक्षा मंत्रालय की इकाईयों के साथ संयुक्त क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाईयों के समान परियोजना को भी स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की शत-प्रतिशत पूर्ति की जावेगी।

(v) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** 20 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की सीमा तक दी जावेगी। जीएसटी लागू होने की दशा में वेट एवं सीएसटी की सहायता अनुपातिक रूप से देय होगी।

(vi) **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 20 वर्षों हेतु छूट दी जावेगी।

(vii) **विद्युत शुल्क से छूट-** 12 वर्षों हेतु छूट दी जावेगी।

2. अन्य सुविधाएं-

(i) **विद्युत दर पर छूट-** परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्षों के लिये रू. 1 प्रति यूनिट की दर से प्रचलित विद्युत दर पर छूट दी जावे।

(ii) **विद्युत अधोसंरचना-** विद्युत आपूर्ति हेतु अधोसंरचना विकास एमपी ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

इस हेतु इस प्रकरण सहित अन्य उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरणों में भी विद्युत कम्पनियों के व्यय पर अधोसंरचना विकास करने हेतु आवश्यक होने पर नियामक अयोग की सहमति से नियमों में संशोधन किया जावे।

(iii) **रिसर्च एण्ड डेव्हलपमेंट हेतु निवेश पर अनुदान-** मध्यप्रदेश में रिसर्च एण्ड डेव्हलपमेंट हेतु किये जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रू. 10 करोड़ जो भी कम हो, दी जावेगी। यह सहायता केवल एक बार देय होगी।

3. कम्पनी की परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं रक्षा संयंत्र उत्पाद निवेश नीति, 2014 अंतर्गत अन्य प्रावधानित सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार दिया जावेगा।

4. परियोजना के लिये पहुंच मार्ग की व्यवस्था हेतु गुण-दोष के आधार पर पृथक से निर्णय लिया जावेगा।

5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-36/2015/बी-ग्यारह **भोपाल, दिनांक** 05-02-2016

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग/विभाग/विमानन विभाग/ नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।

8753

4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि., भोपाल।
8. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स रिलायंस डिफेंस एंड एंयरो स्पेस लि., ग्राउन्ड फ्लोर, विंग बी, रिलायंस सेन्टर, महाराजा रंजीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110002.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग